

# कार्यालय गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

पत्रांक: 07/सी/कय/सुरक्षण/2009-10  
02-11-2009

दिनांक: लखनऊ

## आदेश

डी0एस0एम0 लि0 इकाई-मन्सूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर परिक्षेत्र सहारनपुर के पेराई सत्र 2009-10 हेतु प्रस्तुत माँग पर कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1244/सी/कय/ग0आ0/2009-10 दिनांक 16-9-2009 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्यक परीक्षणोपरान्त विज्ञप्ति संख्या- 1245/सी दिनांक 16-9-2009 द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-12 (2) के अन्तर्गत गन्ने की आवश्यकता का अनुमान **88.61 ला0कु0** विज्ञापित किया गया है। उक्त कार्यालय ज्ञाप में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "आवश्यकता का निर्धारण उ0 प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 के अन्तर्गत उद्देश्य की पूर्ति हेतु चीनी मिल क्षेत्रवार हुऐ गन्ना उत्पादन/ उपलब्धता से आच्छादित रहेगा।"

विगत पेराई सत्र 2008-09 में डी0एस0एम0लि0 इकाई-मन्सूरपुर परिक्षेत्र सहारनपुर ने दिनांक 30-11-2008 को पेराई प्रारम्भ कर दिनांक 03-04-2009 को पेराई सत्र का समापन किया। इस प्रकार चीनी मिल ने 124 कार्य दिवसों में अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध **139.55 ला0कु0** गन्ना उत्पादन में से **50.25 प्रतिशत** ड्रॉल करते हुए **70.13 ला0कु0** गन्ने की पेराई की।

कृषकों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाने एवं गन्ने की अधिक से अधिक खपत चीनी उत्पादन में करने हेतु यह अनिवार्य है कि चीनी मिलें अपने आवंटित क्षेत्र से अधिकतम गन्ने की खरीद/पेराई करे एवं ऐसी

प्रबन्धकीय एवं तकनीकी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करे, जिससे गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता में पर्याप्त सामंजस्य बना रहे।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 के प्राविधानों के अनुपालन में दिनांक 13-9-09 को गन्ना किसान संस्थान, लखनऊ में आयोजित सुरक्षण बैठक में पेराई सत्र 2009-10 में गन्ना क्षेत्र आवंटन एवं पूर्ति के सम्बन्ध में सहारनपुर परिक्षेत्र की गन्ना समितियों, गन्ना कृषकों एवं चीनी मिलों का पक्ष सुना गया।

गत वर्षों में चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य दर के सम्बन्ध में उठाये गये विवाद, गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब तथा गन्ना विकास कार्यों में अरुचि के कारण गत वर्ष के सापेक्ष इस वर्ष गन्ना क्षेत्रफल में गिरावट आई है। इस चीनी मिल के गत वर्ष के सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में गन्ना उत्पादन में 0.65 प्रतिशत कमी होना सम्भावित है।

चीनी मिल क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा, गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन के भुगतान की स्थिति, गन्ना समितियों/कृ ाकों द्वारा दिये गये प्रस्ताव, गत वर्ष आवंटित क्षेत्र में गन्ना क्षेत्रफल में आई कमी तथा क्षेत्र में गन्ना व्यावर्तन की स्थिति आदि कारकों पर विचार किया गया। चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन एवं उपलब्धता को देखते हुए इस चीनी मिल को अधिकतम **113.72 ला0कु0** गन्ना उत्पादन का आवंटन किया जा सकता है।

इस चीनी मिल क्षेत्र के जनपद—मुजफ्फरनगर में गन्ने की औसत उपज **595.44 कुन्तल प्रति हेक्टेयर** है, जो कि पेराई सत्र 2008—09 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कराये गये क्रॉप कटिंग के परिणामों पर आधारित है, तथा सभी सम्बन्धित को इस कार्यालय के पत्र संख्या—950/सी/क्रय/ग0आ0 दिनांक—12—06—2009 द्वारा संसूचित की गई है, जिसके आधार पर **113.72 ला0कु0** गन्ना उत्पादन की प्रतिपूर्ति कुल **19097 हेक्टेयर** गन्ना क्षेत्रफल से होना सम्भावित है।

अतः सम्बन्धित चीनी मिलों, गन्ना समितियों/गन्ना कृ ाकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं पक्ष सुनने, चीनी मिल क्षेत्र में गन्ना उत्पादन/उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत बिन्दुओं को दृ ष्टिगत रखते हुए मै, सुधीर एम. बोबडे, गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश, उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 की धारा—15 एवं सपठित नियमावली—1954 के नियम—22 एवं गुगर केन कन्ट्रोल आर्डर—1966 की उपधारा—6 (1) (ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए समस्त पूर्व आदेशों का अतिक्रमण करते हुए पेराई सत्र 2009—10 के लिए संलग्न तालिका के खण्ड—1 क एवं ख में अंकित क्रय केन्द्रों को डी0एस0एम0 लि0 इकाई—मन्सूरपुर, जनपद मुजफ्फरनगर को गन्ना पूर्ति हेतु सुरक्षित/अभ्यर्पित करता हूँ, तथा खण्ड—2 में इंगित क्रय केन्द्रों को उनके नाम के सम्मुख अंकित निकटवर्ती चीनी मिलो खाईखेडी, खतौली, तितावी, भैसाना एवं देवबन्द को अभ्यर्पित करता हूँ तथा आवंटी चीनी मिलों के अध्यासियों को आदेशित करता हूँ कि गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश—1954 के उपबन्ध—3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप—स पर सम्बन्धित गन्ना समितियों से अनुबन्ध अनिवार्य रूप से

सुनिश्चित करें तथा चीनी मिल चलने के साथ ही समस्त क्रय केन्द्रों का संचालन एवं समानुपातिक गन्ना खरीद सुनिश्चित करें।

उक्त चीनी मिल के अध्यासी को उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-15 (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देशित करता हूँ कि पेराई सत्र का समापन करने के लिए अपने सुरक्षित/अभ्यर्पित क्षेत्र में उपलब्ध समस्त गन्ने की पेराई का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित गन्ना समितियों, जिला गन्ना अधिकारियों तथा क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्तों से प्राप्त कर इस कार्यालय की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही पेराई सत्र का समापन करें।

उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009-10 के लिए जारी किये जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेंगे, जब तक की इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किए जाये।

( सुधीर एम. बोबडे )  
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

## टिप्पणी

1- इस व र्ग जिन नये क्रय केन्द्रों की स्थापना के आदेश दिये जा रहे हैं, उन क्रय केन्द्रों के स्थान का चयन सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारी द्वारा गन्ना किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, चीनी मिल एवं गन्ना समितियों की राय से किया जायेगा तथा क्रय केन्द्रों से सम्बद्ध होने वाले ग्रामों की सूची भी बनाकर सर्व सम्बन्धित को सूचित करेंगे। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा यह भी सुनिश्चित कराया जाय कि एक कृ षक के गन्ने की आपूर्ति एक क्रय केन्द्र पर अथवा केन्द्र के एक ही भाग पर सुनिश्चित कराई जाय। एक से अधिक क्रय केन्द्र/केन्द्र के भाग पर आपूर्ति की सुविधा न दी जाय।

2- चीनी मिलों एवं गन्ना समितियों तथा किसानों की ओर से कुछ क्रय केन्द्रों के स्थान परिवर्तन करके उसी राजस्व ग्राम से दूसरे स्थान पर लगाने तथा कुछ क्रय केन्द्रों के ग्रामों को उसी चीनी मिल के पूर्ववर्ती क्रय केन्द्रों से हटाकर दूसरे क्रय केन्द्रों पर सम्बद्ध किए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए/होते हैं। ऐसे प्राप्त प्रस्तावों पर जिला गन्ना अधिकारी, सम्बन्धित चीनी मिल एवं गन्ना समिति की राय प्राप्त कर अपनी संस्तुति इस कार्यालय को अनुमोदन हेतु प्रेषित करेंगे।

3- यदि पेरार्ड सत्र 2009-10 में चीनी मिल द्वारा सन्तो ाजनक मात्रा में पेरार्ड न कर पाने के कारण या चीनी मिल बन्द हो जाने के कारण गन्ने का व्यावर्तन किया जाना अपरिहार्य प्रतीत होता है तो व्यावर्तित गन्ने की ढुलाई का व्यय उसी चीनी मिल को देना होगा जिसे क्रय केन्द्र मूलरूप में आवंटित हुआ है।

4- गन्ना सुरक्षण आदेश प्रसारित होने के 14 दिन के अन्दर सम्बन्धित गन्ना समिति एवं चीनी मिल द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना पूर्ति एवं खरीद आदेश-1954 के उपबन्ध-3 (3) एवं 4 (1) में निर्धारित प्रारूप-स पर अनुबन्ध अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा जो चीनी मिलें निर्धारित अवधि में अनुबन्ध नहीं करेगी उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

5- चीनी मिल उ0प्र0 गन्ना (पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम-1953 की धारा-17 एवं 18 तथा गुगर केन कन्ट्रोल आर्डर-1966 के खण्ड-3 (3) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अवधि में गन्ना मूल्य एवं विकास कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करे अन्यथा बाध्य होकर चीनी मिल को आवंटित गन्ना क्षेत्र को व्यावर्तित करने पर विचार किया जायेगा।

6- उपर्युक्त आदेश पेराई सत्र 2009-10 के लिए जारी किए जा रहे हैं। यह तब तक वैध रहेगें, जब तक इस सम्बन्ध में नये आदेश या संशोधन प्रसारित न किए जाय।

(सुधीर एम. बोबडे)  
गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- प्रमुख सचिव, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन सचिवालय,  
लखनऊ।
- 2- सम्बन्धित जिले के कलेक्टर को इस आशय से प्रेषित कि उ0प्र0 गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) नियमावली 1954 के नियम-23 के अनुसार उक्त आदेश को प्रकाशित कराने का कर्तव्य करे।
- 3- निदेशक, बॉट एवं माप, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 4- सम्बन्धित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त।
- 5- सम्बन्धित उप चीनी आयुक्त।
- 6- सम्बन्धित जिला गन्ना अधिकारियों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रय केन्द्रों के चलने की स्थिति के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त को चीनी मिल चलने के 15 दिन के अन्दर अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से सूचित करेंगे।
- 7- सम्बन्धित गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे क्रय केन्द्रों की चलने की स्थिति पर स्वयं भी निगरानी रखें तथा यथानिर्दिष्ट समय के अन्दर क्रय केन्द्र न चलाये जाने पर चीनी मिल के विरुद्ध समुचित कार्यवाही अविलम्ब कराते हुए अनुपालन की स्थिति से अधोहस्तारी को अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायेगें।
- 8- सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समितियाँ।
- 9- अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, डी0एस0एम0 लि0 इकाई-मन्सूरपुर  
जनपद-मुजफ्फरनगर, परिक्षेत्र सहारनपुर।
- 10- अध्यासी/प्रधान प्रबन्धक, अन्य सम्बन्धित चीनी मिलें।

(डा० कृपाल सिंह)  
उप गन्ना आयुक्त (क्रय)  
कृते गन्ना आयुक्त,  
उ०प्र०।

खण्ड 1(क)

नाम चीनी मिल- मनसूरपुर शुगर मिल्स लि० मनसूरपुर (मुजफ्फरनगर)

क्र० सं०	नाम गन्ना समिति	नाम क्रय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी (कि०मी०)	गन्ना क्षेत्रफल (है०)	गन्ना उत्पादन (ला०कु०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मन्सूरपुर	मिल गेट	0	10510	62.58	सुरक्षित	
2	मन्सूरपुर	मुबारिकपुर प्रथम	10	384	2.28	सुरक्षित	
3	मन्सूरपुर	मुबारिकपुर द्वितीय	13	384	2.28	सुरक्षित	
4	मन्सूरपुर	बसधाडा प्रथम	10	180	1.07	सुरक्षित	
5	मन्सूरपुर	बसधाडा द्वितीय	10	180	1.07	सुरक्षित	
6	मन्सूरपुर	दिनकरपुर प्रथम	12	178	1.06	सुरक्षित	
7	मन्सूरपुर	धनायन	17	166	0.99	सुरक्षित	
8	मन्सूरपुर	काकडा प्रथम	21	90	0.53	सुरक्षित	
9	मन्सूरपुर	काकडा द्वितीय	20	90	0.53	सुरक्षित	
10	मन्सूरपुर	लछेडा	18	663	3.95	सुरक्षित	
11	मन्सूरपुर	नगला कबीर प्रथम	11	363	2.16	सुरक्षित	
12	मन्सूरपुर	नगलाकबीर द्वितीय	11	363	2.16	सुरक्षित	
13	मन्सूरपुर	नगला मुबारिक प्रथम	12	205	1.22	सुरक्षित	
14	मन्सूरपुर	नगलामुबारिक द्वितीय	12	205	1.22	सुरक्षित	
15	मन्सूरपुर	सोहजनी प्रथम	10	292	1.74	सुरक्षित	

16	मन्सूरपुर	सोहजनी द्वितीय	9	292	1.74	सुरक्षित
17	मन्सूरपुर	चांदपुर तगान	11	156	0.93	सुरक्षित
18	मन्सूरपुर	खुब्बापुर	12	196	1.17	सुरक्षित
19	मन्सूरपुर	भंडूर	15	243	1.45	सुरक्षित
20	मन्सूरपुर	नैराना	12	497	2.96	सुरक्षित
21	मन्सूरपुर	दुल्हेरा	23	95	0.57	सुरक्षित
22	मन्सूरपुर	काकडा / सिलारो	21	135	0.80	सुरक्षित
23	मन्सूरपुर	गढीबहादरपुर प्रथम	22	100	0.60	सुरक्षित
24	मन्सूरपुर	रसूलपुरजाटान प्रथम	21	135	0.80	सुरक्षित
25	मन्सूरपुर	मो०पुर जुनारदार	18	144	0.86	सुरक्षित
योग				16246	96.72	

### खण्ड 1(क)

नाम चीनी मिल- मनसूरपुर शुगर मिल्स लि० मनसूरपुर (मुजफ्फरनगर)

क्र० सं०	नाम गन्ना समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी (कि०मी०)	गन्ना क्षेत्रफल (है०)	गन्ना उत्पादन (ला०कु०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
26	तितावी	बझेडी प्रथम	26	119	0.71	सुरक्षित	
27	तितावी	कूकडा	16	186	1.11	सुरक्षित	
28	तितावी	शेर नगर	15	189	1.13	सुरक्षित	
29	तितावी	सूजडू प्रथम	11	291	1.73	सुरक्षित	
30	तितावी	बिलासपुर प्रथम	13	81	0.47	सुरक्षित	
31	तितावी	सिलाजुडडी	8	127	0.76	सुरक्षित	
32	तितावी	सहावली	8	101	0.60	सुरक्षित	
33	मोरना	मखियाली तृतीय	15	88	0.52	सुरक्षित	
34	मोरना	चांदपुर द्वितीय	15	120	0.71	सुरक्षित	
35	मोरना	तिगरी प्रथम	26	109	0.65	सुरक्षित	

योग	1410	8.41		
महायोग सुरक्षित	17656	105 <sup>प</sup> 13		

खण्ड 1(ख)

नाम चीनी मिल- मनसूरपुर शुगर मिल्स लि० मनसूरपुर (मुजफ्फरनगर)

क्र० सं०	नाम गन्ना समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी (कि०मी०)	गन्ना क्षेत्रफल (है०)	गन्ना उत्पादन (ला०कु०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तितावी	पचेंडा एट मनसूरपुर गेट	20	80	0.48	अभ्यर्पित	खतौली से (केवल गत वर्ष के कृषकों के लिए)
2	तितावी	मीरापुर	12	128	0.76	अभ्यर्पित	तितावी से
3	मनसूरपुर	हरसौली तृतीय	10	164	0.98	अभ्यर्पित	तितावी से
4	मनसूरपुर	निरमाना तृतीय	16	129	0.77	अभ्यर्पित	तितावी से
5	मनसूरपुर	सोरम पंचम	15	195	1.16	अभ्यर्पित	भैसाना से
6	बुढाना	गोयला तृतीय	10	93	0.55	अभ्यर्पित	भैसाना से
7	बुढाना	निरपुडा पंचम	60	121	0.72	अभ्यर्पित	भैसाना से
8	बुढाना	दाहा चतुर्थ	60	121	0.72	अभ्यर्पित	भैसाना से
9	बुढाना	बिटावदा तृतीय(नया)	45	126	0.75	अभ्यर्पित	भैसाना से
10	बुढाना	गोयला द्वितीय	10	100	0.60	अभ्यर्पित	भैसाना से
11	मोरना	योगेन्द्र नगर (नया)	50	100	0.60	अभ्यर्पित	मोरना से
12	शामली	रामपुरखेडी	45	84	0.50	अभ्यर्पित	रमाला से
योग अभ्यर्पित				1442	8.58		
योग सुरक्षित व अभ्यर्पित				19097	113.72		

खण्ड-2

नाम चीनी मिल- मनसूरपुर शुगर मिल्स लि० मनसूरपुर (मुजफ्फरनगर)

क्र० सं०	नाम गन्ना समिति	नाम कय केन्द्र	मिल से केन्द्र की दूरी (कि०मी०)	गन्ना क्षेत्रफल (है०)	गन्ना उत्पादन (ला०कु०)	सुरक्षित / अभ्यर्पित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मोरना	गादला प्रथम	53	271	1.61	अभ्यर्पित	खाईखेडी को
2	मोरना	गादला द्वितीय	53	271	1.61	अभ्यर्पित	खाईखेडी को
3	मोरना	चांदपुर प्रथम	25	120	0.71	अभ्यर्पित	खतौली को
4	मोरना	मखियाली प्रथम	21	88	0.52	अभ्यर्पित	खतौली को
5	मोरना	मखियाली द्वितीय	21	88	0.52	अभ्यर्पित	खतौली को
6	मोरना	सिखेडा	21	203	1.21	अभ्यर्पित	खतौली को
7	मोरना	तिगरी द्वितीय(नया)	26	108	0.64	अभ्यर्पित	खतौली को
8	तितावी	सरवट / सहाबूदीननगर	25	120	0.71	अभ्यर्पित	खतौली को
9	तितावी	नसीरपुर / रथेडी	22	151	0.90	अभ्यर्पित	खतौली को (नाम परिवर्तन)
10	तितावी	धन्धेडा	31	132	0.79	अभ्यर्पित	खतौली को
11	तितावी	बिलासपुर द्वितीय	29	81	0.48	अभ्यर्पित	खतौली को
12	तितावी	सूजडू द्वितीय	20	291	1.73	अभ्यर्पित	खतौली को
13	मन्सूरपुर	शाहपुर प्रथम	24	52	0.31	अभ्यर्पित	खतौली को
14	मन्सूरपुर	शाहपुर द्वितीय	23	52	0.31	अभ्यर्पित	खतौली को
15	मन्सूरपुर	नैराना द्वितीय(नया)	18	247	1.47	अभ्यर्पित	खतौली को
16	मन्सूरपुर	कमालपुर	10	217	1.29	अभ्यर्पित	तितावी को
17	मन्सूरपुर	काकडा तृतीय (नया)	19	90	0.54	अभ्यर्पित	तितावी को
18	मन्सूरपुर	दिनकरपुर द्वितीय (नया)	19	150	0.89	अभ्यर्पित	तितावी को
19	मन्सूरपुर	गढीबहादरपुर द्वितीय (नया)	20	95	0.60	अभ्यर्पित	तितावी को
20	मन्सूरपुर	रसूलपुरजाटान द्वितीय(नया)	21	135	0.80	अभ्यर्पित	तितावी को
21	मन्सूरपुर	ढिंढावली	8	118	0.70	अभ्यर्पित	भैसाना को
22	मन्सूरपुर	आदमपुर	21	60	0.36	अभ्यर्पित	भैसाना को

23	तित्तावी	बझ्जेडी द्वितीय	35	120	0.71	अभ्यर्पित	देवबन्द को
योग				3260	19.45		